भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तराखण्ड,
(Email ID dir.uk.dgm@gmail.com)
भोपालपानी, देहरादून।
पिन कोड– 248008

सेवा में,

1– **वरिष्ठ प्रबन्धक,**
अमर उजाला समाचार पत्र,
उत्तराखण्ड (गढ़वाल व कुमाऊ) संस्करण देहरादून।

2– **वरिष्ठ प्रबन्धक,**
दैनिक जागरण समाचार पत्र,
उत्तराखण्ड (गढ़वाल व कुमाऊ) संस्करण देहरादून।

3– **प्रबन्धक,**
उत्तर उजाला,
उत्तराख़ण्ड।

संख्याः /स्था0/भू0खनि0निदे0/2024–25 दिनांक 22 मई, 2024

विषय :– भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तराखण्ड के अन्तर्गत विभागीय संरचनात्मक ढांचे में स्वीकृत पदों के सापेक्ष रिक्त पदों को उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग/अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से भरे जाने तक निजी सेवा प्रदाता फर्म (Outsource)का चयन किये जाने हेतु विज्ञापन प्रकाशन किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि निदेशालय के पत्र संख्या 3170/स्था0/भू0खनि0निदे0/2023–24 दिनांक 23.03.2024 के क्रम में औद्योगिक विकास(खनन) अनुभाग–1 उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या 715/VII-A-1/2024–3 (102) 2021 दिनांक 01.05.2024 के साथ संलग्न सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र संख्या 640/XXXI(15)G/24–02(सा0)/2022 दिनांक 30.04.2024 की प्रति संलग्न करते हुए अनुवीक्षण समिति द्वारा प्रदत्त सहमति/संस्तुति के अनुरूप प्रकरण में अग्रेत्तर कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये है। शासन के उक्त पत्र दिनांक 01.05.2024 के साथ संलग्न सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र दिनांक 30.04.2024 के क्रम में निदेशालय के पत्र संख्या 473/स्था0/भू0खनि0निदे0/2024–25 दिनांक 07 मई, 2024 के द्वारा भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तराखण्ड के अन्तर्गत विभागीय संरचनात्मक ढांचे में स्वीकृत पदों के सापेक्ष रिक्त पदों को यथा– खान अधिकारी, सहायक भूवैज्ञानिक खान निरीक्षक, सर्वेक्षक, सहायक खनिज पर्यवेक्षक, कनिष्ठ सहायक, चालक एवं फिल्ड परिचर के पदों को उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग/अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से भरे जाने अथवा 11 माह, जो भी पहले हो, तक उत्तराखण्ड सरकार/भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी निजी सेवा प्रदाता फर्म/एजेन्सी का चयन किये जाने हेतु विज्ञापन प्रकाशन की तिथि से 15 दिवस की अवधि निर्धारित करते हुए जनसाधाराण में व्यापक प्रचार–प्रसार हेतु एक विज्ञप्ति प्रकाशित किये जाने हेतु पत्र प्रेषित किया गया था, में अग्रेत्तर एक सप्ताह अर्थात 24.05.2024 से 30.05.2024 तक विस्तारित किया जाना है।

अतः उपरोक्त के दृष्टिगत आपसे अनुरोध है कि संलग्न प्रेस विज्ञप्ति को राज्य क्षेत्रान्तर्गत हिन्दी के प्रमुख समाचार पत्रों में दिनांक 24.05.2024 को प्रकाशित कराने का कष्ट करें तथा सूचना प्रकाशित करने के उपरान्त बीजक दो प्रतियों में निदेशालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नक :– यथोपरि।

भवदीय,

(एच0डी0 चमोली)
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी
कृते–निदेशक

संख्याः 813 /स्था0/भू0खनि0निदे0/2024–25 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, खनन, उत्तराखण्ड शासन को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. नोडल अधिकारी, आई0टी0 सैल, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून को इस आशय के साथ प्रेषित कि उपरोक्त से सम्बन्धित प्रकाशित की गयी विज्ञप्ति दिनांक 08.05.2024 को विभागीय वैबसाइट https://dgm.uk.gov.in/ पर अपलोड करने का कष्ट करें।

22/5/24

(एच0डी0 चमोली)
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी
कृते–निदेशक